मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
MORMUGAO PORT AUTHORITY
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS, GOVT. OF INDIA)
वित्त विभाग / FINANCE DEPARTMENT
"सारसी" प्रशासनिक कार्यालय भवन, हेडलैण्ड सडा, गोवा – 403804.
"SAARASI" ADMINISTRATIVE OFFICE BLDG., HEADLAND SADA, GOA - 403 804.
Tel. : (0832) 2521130 Email : facao@mptgoa.gov.in website : https://www.mptgoa.gov.in

आईएसओ 9001-2015, आईएसओ 14001-2015 तथा आईएसपीएस अनुपालक पत्तन

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

FA/FS-15/2024/ 00045 27.02.2024

CIRCULAR

Sub: Renewal of Pension.

It is informed that pension renewal of Pensioners/Family Pensioners will be carried out in the canteen for the year 2024 – 25.

Pensioners can renew their pension through the Jeevan Pramaan app. Jeevan Pramaan is a biometric-enabled Aadhaar-based Digital Life Certificate for pensioners and is generated for individual pensioners using his/her Aadhaar number and Biometrics. It is stated that Govt. of India has devised a new application called Aadhaar Face Rd Authentication for all Android mobile phones wherein the life certification can be done from home. Also, the pensioner can avail of the facility of the post office by downloading the Postinfo App from the Google Play Store and inserting the required details, then the postman visits the pensioner's place for doing life certification for which the postman charges a nominal amount. The details of doing pension renewal through Jeevan Pramaan and Postinfo app are uploaded on MPA Website.

The Pensioners / Family Pensioners can also submit their life Certificate for renewal of their pension through Jeevan Praman by visiting the nearest Post Office, Citizen Facilitation Centre for submitting their digital life certificates electronically using Aadhaar No, Pension No. and mobile number. The Pensioners/Family Pensioners have to select Mormugao Port Trust as the Pension Sanctioning Authority.

Unmarried/Widowed/Divorced/Unemployed Daughters have to submit an Affidavit stating that they are not married/re-married/employed during the time of renewal of pension.

Renewal of Pension/Family Pension for the Financial Year 2024-25 shall be done during the period from **1st March, 2024 to 31st March, 2024** and WhatsApp video calls has been discontinued from this year onwards.

(Anant V. P. Chodnekar)
Financial Advisor &
Chief Accounts Officer

C.C.: 1. Asst. Director/EDP..... for uploading on website.
2. MPT Retired Officers Association.
3. Mormugao Port Trust Pensioner's Association.

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
MORMUGAO PORT AUTHORITY
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS, GOVT. OF INDIA)
वित्त विभाग / FINANCE DEPARTMENT
"सारसी" प्रशासनिक कार्यालय भवन, हेडलैण्ड सडा, गोवा – 403804.
"SAARASI" ADMINISTRATIVE OFFICE BLDG., HEADLAND SADA, GOA - 403 804.
Tel. : (0832) 2521130 Email : facao@mptgoa.gov.in website : https://www.mptgoa.gov.in

आईएसओ 9001-2015, आईएसओ 14001-2015 तथा आईएसपीएस अनुपालक पत्तन

SAGARMALA

एफए/एफएस-15/2024/00054 27/02/2024

परिपत्र

विषय:- पेंशन का नवीनीकरण

यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-2025 के लिए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन नवीनीकरण का कार्य कैंटीन में किया जाएगा।

पेंशनभोगी जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से अपनी पेंशन का नवीनीकरण कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है और यह प्रत्येक पेंशनभोगियों के लिए उनके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर तैयार किया जाता है। यह सूचित है कि भारत सरकार ने सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए आधार फेस आरडी ऑथेंटिकेशन नामक एक नया एप्लिकेशन तैयार किया है जिसमें जीवन प्रमाणीकरण घर से किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें गूगल प्ले स्टोर से पोस्टइनफो ऐप डाउनलोड कर आवश्यक विवरण भरना होगा। फिर डकिया जीवन प्रमाणन करने उनके स्थान पर जाएगें जिसके पश्चात डाकिया प्रभार के रुप में नाममात्र राशि देय होगी। जीवन प्रमाण और पोस्टइन्फो ऐप के माध्यम से पेंशन के नवीनीकरण करने संबंधी विवरण एमपीए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी आधार संख्या, पेंशन संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, निकटतम डाकघर, नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर जीवन प्रमाण के माध्यम से अपने पेंशन के नवीनीकरण के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मुरगांव पत्तन न्यास को पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण के रूप में चुनना होगा।

अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/बेरोजगार बेटियों को पेंशन के नवीनीकरण के समय हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे विवाहित/पुनर्विवाहित/नियोजित नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नवीनीकरण **1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024** तक किया जाएगा तथा इस वर्ष से व्हाट्सएप वीडियो कॉल बंद कर दी गई है।

(अनंत वी.पी. चोडणेकर)
वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि.:-1. सहायक निदेशक/ईडीपी:- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. एमपीटी सेवानिवृत्त अधिकारी संघ
3. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन